



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2005/चैत्र 23, 1927

No. 53]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2005/CHAITRA 23, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अभिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2005

सं. 409-8/2004-एफएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) खण्ड (बी) के पैराग्राफ (ii), (iii) तथा (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) में आगे निम्नानुसार संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) इस विनियम को "दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार (पांचवां संशोधन) विनियम (2005 का क्रमांक 7)" कहा जाएगा।

(ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) के खंड II के अंतर्गत विनियम 2 में पैरा और प्रविष्टि (xxviii) के बाद निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी:

(xxix) रोमिंग का आशय सेल्यूलर सब्सक्राइबर के होम नेटवर्क की कवरेज के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर यात्रा करते समय उस क्षेत्र

के नेटवर्क (visited Network) का इस्तेमाल करते हुए उसे वॉयस कॉल, डाटा भेजने तथा प्राप्त करने और दूसरी सेवाएं स्वतः प्राप्त करने की क्षमता का प्राप्त होना है। जब सब्सक्राइबर का विजिटेड नेटवर्क और होम नेटवर्क एक ही देश में स्थित हो तो इसे नेशनल रोमिंग कहा जाता है और जब सब्सक्राइबर का विजिटेड नेटवर्क और होम नेटवर्क अलग-अलग देशों में स्थित हो तो इसे इंटरनेशनल रोमिंग कहा जाता है।

वर्तमान (xxix) को (xxx) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

3. उससे संबंधित निम्नलिखित पैरा और प्रविष्टि को दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) की अनुसूची III में पैरा 3.3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद जोड़ा जाएगा:

"3.4 ए डी सी के प्रयोजन के लिए नेशनल रोमिंग सब्सक्राइबरों से प्राप्त होने वाले सभी कॉलों को लंबी दूरी के कॉल और इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबरों से प्राप्त होने वाले कॉलों को इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार भिन्न भिन्न सेवा क्षेत्र में नेशनल रोमिंग सब्सक्राइबरों से प्राप्त होने वाले कॉलों के लिए ए डी सी प्रभार, राष्ट्रीय लंबी दूरी के कॉलों पर लागू ए डी सी प्रभार की भांति ही 0.30 रुपये प्रति मिनट की दर से लागू होगा। इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर के लिए भारत में रहते हुए कोई भी कॉल करने पर ए डी सी प्रति मिनट 3.25 रुपये लागू होगा।

3.5 रोमिंग सब्सक्राइबर से प्राप्त होने वाले सभी कॉलों के लिए एक्सेस डेफिसिट की राशि विजिटेड नेटवर्क आपरेटर द्वारा वसूल की जाएगी और इसे बी एस एन एल को भुगतान किया जाएगा।"

4. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस विनियम में शामिल मामलों में स्पष्टता तथा पारदर्शिता लाने के लिए इस विनियम के अनुबंध-क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है।

आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन III/IV/असा./142/05]

अनुबंध-क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्राधिकरण ने 6 जनवरी, 2005 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से आईयूसी विनियम (2005 का क्रमांक 1) जारी किया था, जिसे 1 फरवरी, 2005 से लागू किया गया है। बीएसएनएल ने अपने कार्यान्वयन सर्कूलर की एक प्रति ट्राई को भेजी है। इस सर्कूलर में बी एस एन एल ने कॉल रूटिंग व्यवस्थाओं में कतिपय परिवर्तन किए हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर्स के ट्रैफिक के लिए लेवल-1 टीएएक्स पर सीएमटीज पीओआई के लिए नए ट्रंक ग्रुप जोड़े गए हैं। बी एस एन एल ने यह भी इंगित किया है कि लेवल 1 टी ए एक्स ट्रंक ग्रुप में प्रस्तावित परिवर्तन अनंतिम हैं। बी एस एन एल ने अपने कार्यान्वयन योजना में यह भी उल्लेख किया है कि चूंकि सीएमएसपीज अपने नेटवर्क में इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर्स से लगभग 100 रुपये प्रति मिनट का प्रभार ले रहे हैं इसलिए सीएमएसपीज को बी एस एन एल के साथ राजस्व की 50:50 में भागीदारी करनी चाहिए।
2. सी ओ ए आई ने प्राधिकरण को इस बारे में एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें कहा गया है कि बी एस एन एल की ऊपर उल्लिखित कार्रवाई से सेल्यूलर आपरेटर्स के कार्य में राजस्व तथा लागत दोनों के हिसाब से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, दिए गए अत्यधिक अल्प समय में अलग ट्रंक ग्रुप का वास्तविक कार्यान्वयन भी लगभग असंभव है। यह भी कहा गया कि ए डी सी के लिए ऐसी योजना के कार्यान्वयन के लिए ट्रंक ग्रुप की आवश्यकता नहीं है और इसे सी डी आर के आधार पर किया जा सकता है। प्राधिकरण को ए यू एस पी आई से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि अलग से ट्रंक ग्रुप की आवश्यकता नहीं है और इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर से प्राप्त फुटकर प्रभारों के 50 प्रतिशत की भागीदारी का आई यू सी के भुगतान से कोई संबंध नहीं है। अतः इसे छोड़ दिया जाए।
3. प्राधिकरण ने इन मुद्दों पर बी एस एन एल, सी ओ ए आई, ए यू एस पी आई और स्विच निर्माताओं के साथ विस्तृत बैठकें की।
4. बी एस एन एल ने कहा कि रोमिंग कॉल प्रीमियम की प्रकृति के होते हैं। सीएमएसपीज स्वयं भी रोमिंग कॉलों को प्रभारों के मामले में लोकल कॉलों से भिन्न तरीके से लेते हैं। वे नेशनल रोमिंग ग्राहकों से 3 रुपये से 5 रुपये प्रति मिनट तक

का उच्चतर प्रभार ले रहे हैं। सेल्यूलर आपरेटर इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर्स से लगभग 100 रूपये प्रति मिनट का प्रभार ले रहे हैं और बी एस एन एल को केवल टर्मिनेशन तथा कैरिज प्रभारों के लिए ही भुगतान किया जाता है। सेल्यूलर सेवाओं के लिए लाइसेंस विशिष्ट सेवा क्षेत्रों के लिए जारी किए जाते हैं। बी एस एन एल द्वारा सीएमएसपीज के साथ अंतःसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर, संबंधित सेवा क्षेत्र के लिए किया जाता है। रोमिंग ग्राहक भिन्न सेवा क्षेत्र से होते हैं और अंतःसंयोजन करारों में मुहैया सामान्य व्यवस्था उन पर लागू नहीं होती है। बी एस एन एल ने कहा कि वह इस ट्रैफिक को स्वीकार करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि बीएसएनएल को ए डी सी के लिए भुगतान किया जाए और ऐसे कॉलों से प्राप्त उच्चतर लाभ में उसे हिस्सा मिले। इस प्रकार बी एस एन एल ने सीएमएसपीज और बीएसएनएल के बीच समतुल्य राजस्व की भागीदारी का प्रस्ताव किया है। बीएसएनएल ने यह भी कहा है कि इसके दुरुपयोग की भी संभावना है। यदि रोमिंग कॉलों पर कोई एडीसी लागू नहीं की जाती है तो एकीकृत आपरेटर, यहां तक कि अपने नेशनल/इंटरनेशनल कॉलों को रोमिंग सब्सक्राइबर्स से प्राप्त कॉल दिखाकर (अर्थात् इन कॉलों को ऐसे कॉलों के रूप में दिखाकर जिनपर ए डी सी लागू नहीं होती है) ए डी सी प्रणाली से बच सकते हैं। बी एस एन एल ने यह भी सूचित किया है कि उनके पास लेवल-1 पर सी डी आर की व्यवस्था है और वे दो महीने के भीतर लेवल-11 पर सी डी आर आधारित व्यवस्था कर देंगे।

5. सी ओ ए आई ने अपने अभ्यावेदन में कहा कि यद्यपि इसके कुछ सदस्यों ने अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर किए हैं, परंतु वे तकनीकी कठिनाइयों के कारण इस करार को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं। इन-रोमर्स (in-roamers) द्वारा ओरिजिनेट किए जाने वाले कॉलों के संबंध में भिन्न ट्रंक ग्रुप के लिए बीएसएनएल के सर्कुलर में सभी कॉल परिदृश्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है। सामान्य तौर पर ट्रैफिक के रूटिंग का निर्णय डायल किए गए नंबर (बी नंबर) के आधार पर किया जाता है और बी एस एन एल द्वारा अपने आई यू सी कार्यान्वयन योजना में किए गए प्रस्ताव के अनुसार रूटिंग के कार्यान्वयन के लिए रूटिंग से पहले नंबर देखा जाना होगा। इससे स्विच पर काफी प्रोसेसर लोड पड़ेगा। इस व्यवस्था से ट्रैफिक की कुशलता घटेगी। इस प्रकार रूटिंग के कार्यान्वयन के लिए एमएससी डायमनसिनिंग में भी परिवर्तन होगा परिणामस्वरूप पूंजिगत खर्च बढ़ेगा। सी ओ ए आई ने आगे यह भी कहा कि उनकी यह राय है कि जो भी व्यवस्था हो वह सीडीआर पर आधारित होनी चाहिए और यही व्यवस्था सेल-वन पर भी पूर्णतया लागू की जानी चाहिए। सीओएआई ने आशंका व्यक्त की कि बी एस एन एल के सर्कुलर के कारण रोमिंग दर बढ़ेंगी।

6. ए यू एस पी आई ने अपने अभ्यावेदन में कहा कि जब आपरेटर अपने सीडीआर समाधान के लिए बीएसएनएल को मुहैया कराने के लिए तैयार हैं तो ऐसी स्थिति में अलग ट्रंक ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं है। बीएसएनएल, सीडीआर से यह पता लगा सकता है कि कॉल रोमिंग सब्सक्राइबर से प्राप्त हुई या नहीं। एयूएसपीआई ने इस बात पर जोर दिया कि बी एस एन एल के पास लेवल-1 टीएएक्स पर सीडीआर आधारित बिल प्रणाली की व्यवस्था है इसलिए लेवल-1 टीएएक्स के लिए अलग ट्रंक ग्रुप की आवश्यकता नहीं है।

7. कई उपकरण निर्माताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं ने सूचित किया कि रूटिंग 'ए' नंबर पर आधारित होने के कारण अतिरिक्त प्रोसेसर लोड 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा होगा। इससे सर्किट के उपयोग और ट्रंकिंग की कुशलता में भी कमी आएगी।

8. प्राधिकरण ने बैठकों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों और बीएसएनएल, सीओआई तथा एयूएसपीआई के लिखित अनुरोधों और उपकरण निर्माताओं के साथ अपने विचार विमर्शों के दौरान उठे मुद्दों की जांच की। प्राधिकरण ने पाया कि अलग ट्रंक ग्रुप की व्यवस्था करने से पीओआई पर ट्रैफिक संभालने की क्षमता कम होगी और इसलिए यह एक अकुशल व्यवस्था होगी। इसके अलावा, चूंकि नेशनल और इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबरों के लिए अलग ट्रंक ग्रुप की व्यवस्था किए बिना भी इस मामले का समाधान किया जा सकता है और बीएसएनएल द्वारा पहले ही सीडीआर आधारित बिल प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है इसलिए सीडीआर आधारित व्यवस्था का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बीच जब तक सीडीआर आधारित व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक आपरेटर उनके नेशनल तथा इंटरनेशनल सब्सक्राइबरों द्वारा किए जाने वाले कालों के लिए अलग से बीएसएनएल को कंपलीट कॉल डाटा रिकॉर्डज (सीडीआर) सप्लाई कर सकते हैं।

9. प्राधिकरण ने यह भी देखा कि प्राइवेट आपरेटर स्वयं ही अपने होम नेटवर्क के ग्राहकों से ओरिजिनेट होने वाले कॉलों को दूसरे सेवा क्षेत्र में उनके अपने नेटवर्क के रोमिंग ग्राहकों से ओरिजिनेट होने वाले कॉलों से भिन्न मानते हैं। प्राधिकरण ने यह भी पाया कि यदि सेल्यूलर आपरेटर द्वारा इनकमिंग इंटरनेशनल कॉलों तथा इनकमिंग इंटर-सर्किल कॉलों को लोकल कॉल के रूप में बीएसएनएल को बताया जाए तो पीओआईएस के दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं। पीओआई के इस प्रकार के दुरुपयोग से बचने के लिए नेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर से प्राप्त होने वाले सभी

कॉलों को लंबी दूरी के कॉलों के रूप में और इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर्स के सभी कॉलों को इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल के रूप में माना जाना चाहिए। अतः अलग सेवा क्षेत्र में नेशनल इन-रोमर्स से प्राप्त होने वाले सभी कॉलों के लिए एडीसी वाले नेशनल कॉलों के समान ही एडीसी प्रभार लागू होगा। इंटरनेशनल रोमर्स के लिए उनके भारत में रहने के दौरान किए जाने वाले किसी भी कॉल के लिए 3.25 रुपये प्रति मिनट का एडीसी लागू किया जाना चाहिए। इस बारे में प्राधिकरण द्वारा सभी सेवा प्रदाताओं को 11.3.05 को पत्र जारी किया गया था जिसमें उनकी अंतिम टिप्पणी मांगी गई थी। केवल सीओएआई तथा बीपीएल से ही टिप्पणियां प्राप्त हुईं और प्राधिकरण ने यह पाया कि सीओएआई तथा बीपीएल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और उन पर विचार कर लिया गया है।

10. प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि बीएसएनएल ने इस आधार पर सेल्यूलर आपरेटर्स के राजस्व की भागीदारी का मुद्दा उठाया है कि वे नेशनल और इंटरनेशनल रोमिंग सब्सक्राइबर्स से उनके होम नेटवर्क के सब्सक्राइबर्स के कॉलों की तुलना में ज्यादा दर प्रभारित कर रहे हैं। प्राधिकरण ने 17 मार्च 2005 को पहले ही एक परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें टर्मिनेटिंग नेटवर्क तथा विजिटिंग नेटवर्क के बीच राजस्व की भागीदारी की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2005

No. 409-8/2004-FN.—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with paragraphs (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby further amends the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003), as follows, namely :—

1. Short title, extent and commencement:

- (i) This Regulation shall be called "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fifth Amendment) Regulation (7 of 2005)"
- (ii) This Regulation shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 under Section II of the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003) the following para and entries shall be inserted, after para and entries (xxviii) namely:

(xxix) Roaming means the ability for a cellular subscriber to automatically make and receive voice calls, data and to access other services while travelling outside the geographical coverage area of the home network, by using the visited network. It is national roaming when visited network and the home network of the subscriber are in the same country and it is international roaming when visited network and home network of the subscriber are in different countries.

The existing (xxix) will be renumbered as (xxx).

3. The following paras and entries relating thereto shall be inserted in Schedule III of The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003) after Para 3.3 and entries relating thereto, namely:

" 3.4 All calls from the National Roaming subscribers shall be treated as Long Distance calls and all calls from International Roaming subscribers shall be treated as incoming international call for ADC purposes. As such for all calls from National roaming subscribers while in a different Service Area, ADC charge as applicable for National Long Distance calls shall be applicable at the rate of Rs 0.30 per minute. For International Roaming Subscriber while making any call while in India, an ADC of Rs 3.25 per minute shall be applicable.

3.5 For all calls from Roaming subscriber, the access deficit amount is to be collected by the visited network operator and paid to BSNL."

4. Explanatory Memorandum

This Regulation contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to matters covered under this Regulation.

By Order,
RAJENDRA SINGH, Acting Secy.
[ADVT III/IV/Exty./142/05]

Annexure- A**EXPLANATORY MEMORANDUM**

1. Authority vide its notification dated 6th January 2005 had issued IUC Regulation (1 of 2005), which has been implemented from 1st February 2005. BSNL forwarded a copy of its implementation circular to TRAI. In this circular BSNL has made some changes in the call routing arrangements wherein new trunk groups have been added for CMTS POI at Level I TAX for National and International roaming subscribers traffic. BSNL has also indicated that proposed charges at Level I TAX Trunk group are provisional. BSNL has mentioned in its implementation plan that since CMSPs are charging approximately Rs. 100/- per minute from the international roaming subscribers in their network, therefore CMSPs should share revenue in 50: 50 basis with BSNL.
2. COAI submitted a representation to the Authority stating that the above mentioned action of BSNL would adversely impact the business of Cellular Operators both in terms of revenue and costs. Moreover, even physical implementation of separate trunk group is almost impossible in the extremely short time given. It was also stated that the implementation of such a scheme for ADC did not require trunk groups, and could be done on the basis of CDR. Authority also received representation from AUSPI stating that separate trunk group is not required and sharing of 50% of the retail charges from the international roaming subscriber has no relation to IUC payments and hence be dispensed with.
3. The Authority has had detailed meetings with the BSNL, COAI, AUSPAI and switch manufactures on these issues.
4. BSNL had stated in its submission that roaming calls are premium in nature. CMSPs themselves are treating roaming calls differently from local calls in

terms of charges. They are charging National roaming customers a higher charge varying from Rs. 3/- to Rs. 5/- per minute. The cellular operators are charging approximately Rs. 100/- per minute from international roaming subscribers, and BSNL gets paid for termination and carriage charges only. The licences for cellular services are issued for specific service areas. The Interconnect Agreements are signed by BSNL with CMSPs for the concerned service area. Roaming customers are from a different Service Area and are not covered for the general treatment provided in the Interconnect Agreements. BSNL stated that it is ready to accept this traffic, provided BSNL gets paid for ADC and share in higher profit from such calls. BSNL thus had proposed an equitable revenue share arrangement between CMSPs and BSNL. BSNL also stated that there is a possibility of misuse in case no ADC is applicable on roaming calls, as the integrated operator would bypass the ADC regime by showing even their National/International calls as call from a roaming subscriber (i.e. by showing the call as not being subject to ADC). BSNL has also informed that they have CDR at Level-I and will have CDR based system at Level-II within 2 months.

5. COAI in its representation stated that although some of its members have signed the Interconnect agreement but still they are unable to implement the agreement due to technical difficulties. BSNL's circular for different trunk groups for calls originated by in-roamers has not taken into account all the call scenarios. Normally routing of traffic is decided on the basis of dialled number (B number), and to implement the routing as proposed by BSNL in its IUC implementation plan A number has to be seen before routing. This will create lot of processor load on the Switch. This arrangement will also reduce trunking efficiency. To implement such routing, the MSC dimensioning will change resulting in higher CAPEX. COAI further added that whatever the arrangement, which it was of the view should be based on CDR, the same arrangement should be applied in toto for CELL-ONE also. COAI apprehended that roaming rates will go up due to BSNL's circular.

1208 51/2005-3

6. AUSPI in its representation submitted that there is no need for separate trunk group when operators are ready to provide their CDRs for reconciliation to BSNL. BSNL can verify from the CDR whether the call is from roaming subscriber or not. AUSPI had emphasised that BSNL have CDR based billing at level I TAX so the need to create separate trunk group at Level I TAX does not arise.
7. Several equipment manufacturers and equipment suppliers informed that due to routing based on 'A' number, additional processor load will be of the order of 10% or more. This will also reduce Circuit Utilisation and trunking efficiency.
8. Authority has examined the various issue raised during the meetings and written submissions by BSNL, COAI and AUSPI, and its discussions with Equipment Manufacturers. The Authority observed that formation of separate trunk group will reduce the traffic handling capacity at the POI and would therefore be inefficient arrangement. Further, since the matter can be addressed without resorting to formation of separate trunk groups for national and international roaming subscribers and BSNL is already in the process of implementing CDR based billing system, an arrangement based on CDR system should be used. In the mean time, till CDR based systems are put in place, operators could supply the complete Call Data Records(CDR) separately to BSNL for the calls made by their national and international subscribers.
9. The Authority has also observed that private cellular operators are themselves treating calls originated by their home network customers separately from the calls originated by the roaming customers belonging to their own network in other service area. The Authority has also observed that the possibilities of misuse of POIs by cellular operators exist if they hand over incoming international calls as well as incoming inter-circle calls as local calls to BSNL. **To avoid such misuse of POI, all calls from the national roaming subscribers should be treated as long distance calls and all calls from the international roaming subscribers should be treated as incoming**

international call. As such for all calls from National Inroamers while in a different Service Area, ADC charge for national calls with ADC will be applicable. For International Roamers while making any call while in India, an ADC of Rs 3.25 per minute should be applicable. A letter in this regard was issued by Authority to all service providers on 11-03-05 seeking their final comments. Comments had been received from COAI and BPL only, and Authority found that issues raised by COAI and BPL had already been discussed and considered.

10. The Authority has noted the point that BSNL has raised the issue of sharing revenue from cellular operators on the ground that they are charging higher rate from national and international roaming subscribers as compared to the calls from their home network subscribers. The Authority has already issued a consultation paper on 17th March 2005 which will address issues like revenue share arrangement between terminating network and visiting network.